न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

व. मांगीलालसिंह के कायममुकाम प्रहलादसिंह बनाम तहसीलदार जोधपुर

मुकदमा प्रार्थना पत्र अवमानना याचिका

नम्बर 08 सन् 2019

हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हु
.19	आज पत्रावली पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को निस्तारण करने हेतु पेशी पर ली गई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री रविन्द्रसिंह राठौड़ उपस्थित। दिनांक 27.08.19 को प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री रविन्द्रसिंह राठौड़ एवं तहसीलदार जोधपुर की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में बतलाया कि राजस्व ग्राम जोधपुर के ख.नं. 632 की राजस्थान भूमि सुधार व जामीर अधिग्रहण अधिनियम, 1963 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के लिए प्रार्थी के पिता मांगीलालसिंह पुत्र रिछपालसिंह द्वारा वर्ष 1985, 1988 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक एस.बी.सिविल रिट याचिका के हुए निर्णय की प्रति सहित पेश करते हुए ख.नं. 632 की 43. बीघा भूमि पर वर्ष 1959 से काबिज व काश्त होने से खातेदार घोषित करने के पेश किये गये। माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.1985 में काश्तकारों को राजस्थान भूमि सुधार व पुनः ग्रहण अधिनियम, 1963 की धारा 6(1) में खातेदार माना है। बहस में आगे कहा कि उपरोक्त निर्णयों के फलस्वरूप स्व. मांगीलालसिंह का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त साबित माना गया तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2015 में ख.नं. 632 रकबा 43.13 बीघा भूमि बाबत् धारा 9ए के तहत जारी नोटिस दिनांक 13.11.1975 को निरस्त कर खातेदार घोषित किया गया। बहस में यह भी बतलाया कि इस न्यायालय से निर्णय होने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष नामान्तरकरण बाबत् दिनांक 17.06.2016 को प्रार्थना पत्र दिया गया, परन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र लम्बे समय तक लम्बित रखा गया एवं द्वितीय प्रार्थना पत्र देने पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा विचाराधीन लगातार....	

नामान्तरकरण कार्यवाही में सिविल रिट याचिका 1560/2001 के अध्यधीन रहने का नोट अंकित करने को कहा गया, जबकि विवादित भूमि बाबत् रिट याचिका संख्या 1560/2001 के तथ्य प्रस्तुत मामले में विचारणीय कृषि भूमि से संबंधित नहीं है अतः न्यायालय के निष्कर्ष के पद में अंकित पंक्ति " यह निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित एस.बी. सिविल रिट याचिका 1560/2001 के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। " को विलोपित करने का आदेश न्यायहित में दिया जाय।

तहसीलदार जोधपुर ने प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 30.07.2015 को दिये गये आदेश में समान आराजी ख.नं. 632 के अन्य काश्तकारों को राजस्थान भू–सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1963 की धारा 9(ए) के तहत जारी नोटिस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के कारण भी स्व. मांगीलालसिंह का कब्जा काश्त आराजी ख.नं. 632 रकबा 43.13 बीघा पर मानते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया गया, परन्तु पूर्व में अन्य प्रकरणों में खातेदारी दिये जाने से राज्य सरकार द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील दायर की गई तथा अपील के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका 1560/2001 प्रस्तुत होने से उसके अंतिम निर्णय से विवादित भूमि बाबत् भी भविष्य में कोई कानूनी पेचदगीयां उत्पन्न न हो, उसके अध्यधीन रहने का आदेश दिनांक 30.07.2015 दिया गया। मेरी राय में उक्त आदेश में इस स्टेज पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो। यह आदेश आज दिनांक 03.09.2019 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।